रजिस्ट्री सं डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 108] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 31, 1986/चैत्र 10, 1908
No. 108] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 31, 1986/CHAITRA 10, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, 31 मार्च, 1986

आदेश

का०आ० 142 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/86:- भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का०आ० 218 (अ) /18क/आई०डी०आर०ए०/78, तारीख 29 मार्च, 1978, द्वारा (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है) कलकत्ता स्थित मैसर्स आलोक उद्योग वनस्पति एण्ड प्लाईवुड, लिमिटेड नामक औद्योगिक उपक्रम का प्रबंध तारीख 29 मार्च, 1978 से पांच वर्ष की अवधि के लिये ग्रहण किया गया था और वैस्ट बंगाल फोरेस्ट डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, 6-ए, राजा सुबोध मलिक स्क्वेयर, आठवीं मंजिल, कलकत्ता- 700013, को प्राधिकृत नियंत्रक के रूप में नियुक्त किया गया था;

और केन्द्रीय सरकार, ने अपनी यह राय होने पर कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश पूर्वोक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्रभावी बना रहे 31 मार्च, 1986 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये ऐसे बने रहने के लिये निदेश जारी किये थे। (देखिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश सं० का० आ० 234 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 28 मार्च, 1983, सं० का०आ० 694 (अ)/18क/आई०डी० आर०ए०/83, तारीख 29 सितम्बर 1983; सं० का०आ० 948 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/83, तारीख 31 दिसम्बर, 1983; सं० का० आ० 465 (अ)/18कआई०डी०ए० आर 84, तारीख 28 जून, 1984; सं० का०आ० 971 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/84, तारीख 29 दिसम्बर, 1984 और सं० का० आ० 274 (अ)/18क/आई०डी०आर०ए०/85 तारीख 29 मार्च, 1985,);

और केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि लोकहित में यह समीचीन है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1987 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी बना रहे;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-क की उप-धारा (2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेश देती है कि उक्त आदेश 31 मार्च, 1987 तक की, जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है और अवधि के लिये प्रभावी बना रहेगा।

[फा० सं० 2(25)/74-सी०यू०एस०]

ए०पी० सरवन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 31st March, 1986

ORDER

S.O. 142(E)|18A|IDRA|86.—Whereas by the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 218(E)|18A|IDRA|78, dated the 29th March, 1978 (hereinafter referred to as the said Order), the management of the industrial undertaking known as Messrs Alok Vanaspati and Plywood Limited, located at Calcutta, has been taken over for a period of five years with effect from 29th March, 1978, and the West Bengal Forest Development Corporation Limited, 6A, Raja Subhodh Mallick Square, 7th Floor, Calcutta-700013, was appointed as the authorised controller ;

And, whereas, the Central Government, being of opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect after the expiry of the period of five years aforesaid, had issued directions for such continuance for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1986 vide Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) Nos. S.O. 234(E)|18A|IDRA|83, dated the 28th March, 1983; S.O. 694(E)|18A|IDRA|83|; dated the 29th September, 1983; S.O. 947(E)|18A|IDRA|83, dated the 31st December, 1983; S.O. 465(E)|18A|IDRA|84, dated the 28th June, 1984; S.O. 971(E)|18A|IDRA|84, dated the 29th December, 1984 and S.O. 274(E)|18A|IDRA|85 dated the 29th March, 1985 ;

And, whereas, the Central Government is of the opinion that it is expedient in the public interest that the said Order should continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987.

Now, therefore, in exercise of the powers conferre by the proviso to sub-section (2) of Section 18A of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby directs that the said Order shall continue to have effect for a further period upto and inclusive of the 31st March, 1987.

[File No. 2(25)|74-CUS.]

A. P. SORWAN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986